राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2707/2025

मधु कंवर पत्नी कमलेन्द्र सिंह हाड़ा, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी थाना के सामने वार्ड नं. 5, इंदिरा कॉलोनी, भाभा नगर, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, ज़रिए मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री एम.ए. सिद्दीकी, श्री सिकंदर खान और सुश्री हीना अमन सिद्दीकी
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता और महाधिवक्ता,के साथ श्री राजेश पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्तमहाधिवक्ता, के साथ श्री अनिरुद्ध सिंह शेखावत और श्री मुदित वैष्णव

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

25/02/2025

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रतिवादिओं द्वारा रावतभाटा नगर पालिका के प्रशासक/प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए जारी दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना को रद्द और अपास्त किया जाए।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (इसके बाद 'अधिनियम 2009' कहा गया है) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते

हुए राजस्थान राज्य द्वारा रावतभाटा नगर पालिका का गठन किया गया था और चुनाव आयोजित करने के बाद, वार्ड सदस्य और उसके अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। रावतभाटा नगर पालिका और अन्य नगर पालिकाओं के कार्यकाल की समाप्ति के बाद, राज्य सरकार ने 25.11.2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि राजस्थान राज्य की 49 नगर पालिकाओं के कार्यकाल के पूरा होने पर, इन नगर पालिकाओं के दिन-प्रतिदिन के कार्य की देखभाल के लिए प्रशासक/प्राधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर करके दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त प्रशासक/प्राधिकारी कानून के परे है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रबलता से प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम 2009 में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत उस स्थिति में प्रशासक/प्राधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है जब कानून के तहत स्थापित नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो गया हो। वह प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना जारी करके अधिनियम 2009 की धारा 322 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। वह प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना जारी करते समय अधिनियम 2009 की धारा 322 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और रावतभाटा नगर पालिका के प्रशासक/प्राधिकारी को नियुक्त करने वाली राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना को रद्द और अपास्त किया जाए।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित श्री राजेंद्र प्रसाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और महाधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना को सख्ती से कानून के अनुसार और अधिनियम 2009 की धारा 320 के अधिदेश के अनुसार जारी किया गया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम 2009 की धारा 320 राज्य सरकार को नगर पालिका के निर्माण के बाद अधिनियम 2009 में उल्लेखित शक्तियों और कर्तव्यों को कार्य करने और उनका प्रयोग करने के लिए किसी भी अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार देती है। वह प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि रिट याचिका में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि नगर पालिका का गठन कब हुआ था और नगर पालिका का कार्यकाल कब समाप्त हुआ है, फिर भी वर्तमान मामले में, केवल दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान

राज्य द्वारा प्रशासक/प्राधिकारी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, इसलिए, अन्य तथ्यात्मक मुद्दों को उनके द्वारा नहीं जोड़ा जा रहा है।

6. विद्वान महाधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि राज्य अधिनियम 2009 की धारा 320 के तहत नगर पालिका के कार्य और उसके कार्यों को निर्वहन करने के लिए उसके निर्माण के बाद और कानून के अनुसार स्थापित होने से पहले एक अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है। वह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, चूंकि राजस्थान राज्य की 49 नगर पालिकाओं में, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 25.11.2024 को समाप्त हो गया था, इसलिए, जब तक अधिनियम 2009 की धारा 11 के अनुसार नई नगर पालिकाओं को स्थापित नहीं किया जाता है, राज्य सरकार ने इस अंतरिम अवधि के दौरान नगर पालिकाओं के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए दिनांक 25 नवंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा एक प्रशासक/प्राधिकारी को नियुक्त किया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना त्रुटियुक्त नहीं है और रिट याचिका को खारिज किया जाए।

7. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है और मामले के संबंधित अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. वर्तमान मामले में अविवादित तथ्य यह हैं कि रावतभाटा में नगर पालिका के निर्माण के बाद, उसे स्थापित किया गया था और एक निर्वाचित बोर्ड कार्यरत था। 25.11.2024 को रावतभाटा सहित राजस्थान राज्य की 49 नगर पालिकाओं के कार्यकाल की समाप्ति के बाद, राज्य सरकार ने दिनांक 25.11.2024 की एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत संबंधित नगर पालिकाओं के दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखभाल करने और कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशासक/प्राधिकारी को नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि दिनांक 25.11.2024 की जो अधिसूचना कानून के विपरीत है, उसे अधिनियम 2009 की धारा 320 के परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है।

9. संक्षेप में, अधिनियम 2009 की धारा 320 को इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

> **320. नगर पालिका की स्थापना तक उसकी शक्ति का प्रयोग।**
>
> – जब एक नई नगर पालिका 'बनाई' जाती है, तो ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त कर सकती है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक नगर पालिका 'स्थापित' होने तक,

नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है और कार्यों को पूरा कर सकता है और ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका माना जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी हमेशा, समिति या प्राधिकारी नगर पालिका के निर्माण के छह महीने के भीतर पहले चुनावों को आयोजित करने और सामान्य रूप से गठित होने पर नगर पालिका द्वारा अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने में जल्दी करने के लिए व्यवस्था करेगा:

आगे बशर्ते कि ऐसा कोई अधिकारी, समिति या प्राधिकारी किसी भी नए कर का प्रस्ताव या लगाने और उप-नियम बनाने का हकदार नहीं होगा।

(विशेष रूप से रेखांकित)

10. अधिनियम 2009 की धारा 320 का केवल अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एक नगर पालिका के 'निर्माण' के बाद, राज्य सरकार अपनी ओर से एक अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को नियुक्त करने के लिए सशक्त है जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 'स्थापित' नगर पालिका शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है और नगर पालिका के कार्यों को पूरा नहीं करती है। वर्तमान मामले में, चूंकि कानून के तहत स्थापित नगर पालिका ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और जब तक नए चुनाव नहीं होते हैं और धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार एक नई नगर पालिका स्थापित नहीं होती है, नगर पालिका के मामलों को स्थगित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और, इसलिए, एक नगर पालिका के दिन-प्रतिदिन के मामलों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार अधिनियम 2009 की धारा 11 के अनुसार नवगठित निर्वाचित सदस्य की नगर पालिका स्थापित होने तक नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए एक अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को नियुक्त करने में सक्षम है। वर्तमान मामले में, चूंकि राज्य सरकार की 49 नगर पालिकाओं ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था और जब तक अधिनियम 2009 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार नई नगर पालिकाएं स्थापित नहीं होती हैं, राज्य सरकार ने उन 49 नगर पालिकाओं के कार्यों की देखभाल करने के लिए प्रशासक/प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिए 25.11.2024 को एक अधिसूचना जारी की है। इस न्यायालय की विनम्र राय में, दिनांक 25.11.2024 की अधिसूचना पूरी तरह से उचित और अधिनियम 2009 की धारा 320 के प्रावधानों के अनुरूप है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रशासक/प्राधिकारी को नियुक्त करते समय राज्य सरकार द्वारा अधिनियम 2009 की धारा 322 का सहारा नहीं लिया गया है, केवल इस आधार पर खारिज किए जाने के लिए नोट किया जाता है कि अधिनियम 2009 की धारा 322 का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब नगर पालिका को अक्षमता या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्यों के होने के आधार पर भंग कर दिया जाता है। चूंकि दोनों आकस्मिकताएं वर्तमान मामले में उपस्थित नहीं हैं, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम 2009 की धारा 322 के प्रावधानों का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.11.2024 को जारी अधिसूचना को किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे कानून के प्रावधानों के अनुरूप जारी किया गया है।

12. यह आगे नोट किया जाता है कि विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट है कि अधिनियम 2009 की धारा 320 के परंतु के अनुसार अधिकारी, समिति या प्राधिकारी की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए जारी रहेगी और छह महीने के भीतर, नगर पालिका को कानून के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

13. यहां ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका गुण-दोष से रहित है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है।

14. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी निपटाए जाते हैं।

(विनीत कुमार माथुर), जे

57-संजयएस/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़